ई–मेल

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 किसान भवन अरेरा हिल्स भोपाल

~~क्रमांक/बी–6/नियमन/ई–मण्डी~~/521/1617 भोपाल दिनांक: 02 अप्रैल 2019

प्रति,

1. संयुक्त संचालक/उप संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय, (समस्त)

2. सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त),

विषयः–प्रदेश की मण्डी समितियों में दैनिक कियाकलापों के अन्तर्गत पाक्षिक विवरण, भुगतान पत्रक, प्रदेश के बाहर से आयतित कृषि उपज एवं बिलो के आधार पर व्यापारी द्वारा छोटी छोटी मात्रा में विकय उपज की प्रविष्टि के संबंध में।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र कमांक/बी–5/2/ई–मण्डी/2018–19/1092 भोपाल दिनांक 12 मार्च 2019

–0–

उपरोक्त संदर्भित पत्र एवं वीडियो कान्फ्रेंस दिनांक 29.03.2019 में हुई चर्चानुसार दिनांक 16.04.2019 से मण्डी समिति के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी के खाते में कृषि उपज के मण्डीफीस व निराश्रित सहायता राशि चुकाये (01.04.2019 से 15.04.2019 की अवधि का पाक्षिक विवरण पत्रक अनुसार) जिंसवार स्कंध को ई–मण्डी प्रणाली पर आनलाईन दर्ज कराया जाना है। साथ ही मण्डी प्रांगण में अनुबंध तथा मण्डी प्रांगण के बाहर सौदा पत्रक के माध्यम से कय उपज के विकेता को भुगतान के प्रमाणीकरण हेतु केता द्वारा जारी भुगतान पत्रक की एकजाई प्रविष्टि,प्रदेश के बाहर से आयतित उपज की प्रविष्टि तथा व्यापारी द्वारा दैनिक बिलो के आधार पर छोटी छोटी मात्रा में विकय उपज की एकजाई स्कीन में प्रविष्टि के निर्देश भी दिये गये है ।

2/ कृषि उपज के मण्डीफीस व निराश्रित सहायता राशि चुकाये 01.04.2019 से 15.04.2019 की अवधि का पाक्षिक विवरण पत्रक अनुसार जिंसवार स्कंध को ई–मण्डी प्रणाली पर आनलाईन दर्ज किया जाना है । ऐसी स्थिति में मण्डी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी से दिनांक 16.04.2019 को उक्त अवधि की पाक्षिक प्राप्त करने हेतु प्रेरित करें । इसमें भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उन व्यापारियों की प्राथमिकता तय करे जिनके द्वारा मण्डी/मण्डी प्रांगण के बाहर से नियमित रूप से कृषि उपज कय की जाकर अनुज्ञापत्र के माध्यम से निर्गमित की जाती है। जिससे 16.04.2019 की स्थिति में उनके उपलब्ध स्कंध अनुसार व्यापारी द्वारा प्ररूप–10 प्रस्तुत करने पर मण्डी द्वारा प्ररूप–9 में निर्गमन की अनुमति जारी करने में व्यवधान न हो सके ।

sabarwal 2019

3/ मण्डी समिति के अनुज्ञाप्तिधारी व्यापारी के खाते में दिनांक 15.04.2019 की स्थिति में उनके खाते में अवशेष मण्डीफीस व निराश्रित सहायता राशि को आगामी दिवस में अनिवार्य रूप से मण्डीफीस/निराश्रित सहायता राशि स्कीन में भी प्रविष्टि करावे । जिससें उनके खाते में शेष राशि का उपयोग वह आगामी संव्यवहार में कर सके ।

4/ अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा मण्डी प्रांगण में अनुबंध तथा मण्डी प्रांगण के बाहर सौदा पत्रक के माध्यम से कय उपज के विकेता को भुगतान के प्रमाणीकरण हेतु जारी भुगतान पत्रको की प्रविष्टि दिनांक 16.04.2019 से एकजाई भुगतान पत्रक स्कीन में प्रविष्टि करावें । जिससें 16.04.2019 से व्यापारियों को पाक्षिक विवरण पत्रक की प्रविष्टि के अभाव तथा सीजन में कार्य के दबाब की स्थिति में कय उपज को निर्गमित करने में असुविधा न हो । साथ ही भुगतान पत्रक की पृथक–पृथक प्रविष्टि जारी होने के दिनांक से आगामी 2–3 दिवस में अनिवार्य रूप से करा लेवे ।

5/ प्रदेश के बाहर से आयतित कृषि उपज की प्रविष्टि मण्डी प्रांगण/प्रांगण के बाहर पदस्थ कर्मचारियों द्वारा ई–मण्डी अन्तर्गत आनलाईन ही की जावेगी । इसके लिये आवश्यक व्यवस्था भी करा ली जावें ।

6/ व्यापारी द्वारा अपने प्रतिष्ठान से प्रतिदिन छोटी छोटी मात्रा में विकय की जाने वाली कृषि उपज कि प्रविष्टि भी एकजाई कृषि उपज की विकय स्कीन में जिंसवार करावें । जिससे व्यापारियों द्वारा कय की गई कृषि उपज के साथ ही प्रतिदिन बिलो के आधार पर छोटी–छोटी मात्रा में विकय स्कंध उपरांत वास्तविक स्कंध ज्ञात हो सके । इस बाबत् भी व्यापारियों से चर्चा कर प्रतिदिन की जानकारी प्राप्त कर लेवें ।

उपरोक्त कार्यवाही अन्तर्गत निर्देशों का बिना चूक समय सीमा में पालन सुनिश्चित किया जावें । जिससे दिनांक 16.04.2019 से ई–मण्डी अन्तर्गत दैनिक कियाकलापों की आनलाईन प्रविष्टि सुनिश्चित कराते हुये व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्ररूप–10 के तहत् मण्डी द्वारा आनलाईन प्ररूप–9 शत् जारी किये जाने में व्यवधान उत्पन्न न हो सके ।

(फैज़ अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–6/नियमन/ई–मण्डी/521/1618 भोपाल दिनांकः 02अप्रैल 2019

प्रतिलिपि :–

1/ अपर संचालक (वित्त/एमआईएस/नियमन/कार्मिक) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

2/ श्री ए.एन.सिद्धिकी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी) भोपाल

3/ श्री मुशरर्फ सुल्तान, तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी) भोपाल

4/ चीफ प्रोग्रमर (एमआईएस) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यवाही के संबंध मे एक कन्ट्रोल रूम तैयार करते हुए उसके संचालन हेतु एक टीम का गठन किया जाकर विधिवत आदेश जारी करें।

5/ श्री रामकिशन असाटी, कन्सलटेंट, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल की ओर लेख है कि ई–मण्डी प्रणाली अन्तर्गत उपलब्ध स्क्रीनिंगो मे डाटा फिडिग के संबधं मे आने वाली तकनीकी परेशानियों का शीघ्र निराकरण किया जाना सुनिश्चित करे।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल